

कार्यालय नगर परिषद् मेघनगर जिला-झाबुआ (म.प्र.)



e-mail : cmomeghnagar@mpurban.gov.in Contact Number : 8889999948

क्रमांक / न.प. / 2024 / 1689

मेघनगर, दिनांक : 22 / 08 / 2024

विज्ञापन

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की रिट याचिका क्रमांक 7275 / 2019 में पारित आदेश दिनांक 30.01.2024, म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 07-19 / 2019 / आ.प्र. / 1 दिनांक 14.02.2024, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पत्र क्रमांक / 676 / 16017123 / 2023 / 18-1 दिनांक 16.02.2023, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल के पत्र क्रमांक / स्था / एक / 201 / प्र.शि. / 2024 / 3780 भोपाल दिनांक 26.02.2024 तथा मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, के पत्र क्रमांक एफ 8-2 / 2013 / आ.प्र. / एक, भोपाल दिनांक 04.01.2024 एवं अन्य पत्रों में दिये गये निर्देशानुसार विशेष भर्ती अभियान के तहत आरक्षित पद/पदों की पूर्ति वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से की जाना है। इस हेतु निर्धारित योग्यता एवं आईता रखने वाले अभ्यार्थी नीचे दर्शाये गये निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भर कर दिनांक 09.09.2024 कार्यालयीन समय 6:00 सांयकाल तक आवेदन-पत्र प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि में आवेदन पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में उन पर विचार नहीं किया जायेगा। डाक के माध्यम से विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र के लिए निकाय/कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। दिव्यांजनों हेतु आरक्षित रिक्त पदों का विवरण, वेतनमान, निर्धारित योग्यता एवं वॉक-इन-इंटरव्यू के लिए निर्धारित तिथि की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	पद का नाम	पद की श्रेणी	वेतनमान	दिव्यांगजनों की लिए आरक्षित वर्गवार रिक्तियाँ	निर्धारित योग्यता	अनुभव	वॉक-इन-इंटरव्यू हेतु निर्धारित तिथि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सफाई संरक्षक (संविदा)	चतुर्थ	8000 चूनतम	दृष्टवाधित और कम दृष्टि वहरे और कम सुनने वाले, लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें समिलित है, सेरेबल पाल्पी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटेक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्राफी	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीगारी और बहुविकलंगता	5 वी उत्तीर्ण	1 वर्ष	पत्र अभ्यार्थियों को वॉक-इन-इंटरव्यू की तिथि एवं समय की सूचना पृथक से दी जावेगी।		

नोट:- न्यूनतम दर कलेक्टर दर से कम होने पर कलेक्टर दर मान्य होगी।

मुख्य शर्तें:-

- आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- समस्त प्रमाण-पत्रों को सक्षम अधिकारी अथवा स्वयं सत्यापित करने उपरांत प्रमाण पत्रों की प्रति संलग्न प्रेषित की जावें।
- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी 3-38 / 16 / 1 / 3 भोपाल, दिनांक 04 जुलाई 2019 अनुसार अभ्यार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष, आरक्षित वर्ग-अनु.जा.अनु.जनजाति, अन्यपिछड़ा वर्ग, शासकीय/ निगम/मण्डल/ स्वाशासी संस्था के कर्मचारियों/ नगरसैनिक/ निःशक्तजन/ महिलाओं/ अनारक्षित/ आरक्षित आदि के लिए 18 से 45 (अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट) होगी।
- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक सी-3-8 / 2016 / 3-एक भोपाल दिनांक 12 मई 2017 एवं परिपत्र क्रमांक सी 3-38 / 16 / 1 / 3 भोपाल, दिनांक 04 जुलाई 2019 अनुसार के अनुसार आवेदक का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
- आवेदक को वॉक-इन-इंटरव्यू/साक्षात्कार के समय सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति साथ लाना अनिवार्य है।
- दिव्यांगता का डिजिटल प्रमाण पत्र की अनिवार्यता: दिनांक 21.06.2021 से लागू की गई है। अतः उक्त तिथि के पूर्व जारी मेन्यूअल दिव्यांगता प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।
- डिजिटल जाति मूल निवासी प्रमाण-पत्र/जाति प्रमाण-पत्र एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया ही मान्य होगा।
- वॉक-इन-इंटरव्यू के लिए आने वाले आवेदकों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- अधूरे, अस्पष्ट एवं अपठनीय आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।
- भर्ती से संबंधित जानकारी एवं शर्तों कार्यालयीन समय में निगम/निकाय से प्राप्त की जा सकती है।

11. यह कि जिस आवेदक का विवाह निर्धारित न्यूनतम आयु (पुरुष वर्ग के लिए 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष) के पूर्व हो गया हो उसे उक्त पदों के लिए आयोग्य माना जायेगा।
12. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वह आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त आर्हताओं और शर्तों को आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि पूर्ण करता है।
13. आवेदन—पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण, असत्य या त्रुटिपूर्ण पायी जाती है अथवा वांछित प्रमाण—पत्र संलग्न नहीं किया जाता है, तो उसके आधार पर आवेदक को पूर्व सूचना दिये बिना उसका आवेदन पत्र किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है।
14. सीधी / बैकालॉग के पदों पर आवेदक राष्ट्रीय पेंशन योजना, 2005 अंतर्गत नियुक्ति होंगे।
15. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 30.06.2014 के अनुसार वर्गवार आरक्षण न करते हुए दिव्यांगजनों की श्रेणी के आधार पर आरक्षण किये जाने से विशेष पिछड़ी जनजातियों (सहारिया/सहरिया, भारिया एवं बैगा) महिलाओं एवं भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के आवेदकों को पृथक से आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
16. ऐसे समस्त आवेदन पत्र जो अपूर्ण हैं एवं विहित प्रारूप में नहीं हैं वे निरस्त कर दिये जायेंगे। अभिलेखों को कूटरचित किया हो या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किये गये हों जो रूपान्तरित किये गये हों वे भी निरस्त कर दिए जाएंगे। साथ ही ऐसे विवरण दिये गए हों, जिसमें ऐसी तात्कारी छिपाई गई हो, जो चयन के लिए आवश्यक हो, तो ऐसे आवेदन पत्र भी निरस्त कर दिए जाएंगे।
17. दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियों का उनके लिये जिला स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराकर यह सुनिश्चित होने के पश्चात ही कि वे वास्तव में विकलांग हैं यह जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित किये जाने के उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी किये जायेंगे।
18. यह कि दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के निःशक्तता का प्रतिशत 40 प्रतिशत या अधिक पाए जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा।
19. शासन के आदेश के अनुसार, कोई भी अभ्यार्थी जिसके 02 से अधिक जीवत सन्ताने हैं, जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ है तो ऐसा अभ्यार्थी नियुक्त हेतु पात्र नहीं होगा, लेकिन यदि एक बच्चा जीवित है और बाद के प्रसव में दो या अधिक सन्ताने जन्म लेती है तो उसे अयोग्य नहीं माना जावेगा।
20. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी, 3–13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक 12 दिसंबर 2019 के अनुसार सीधी भर्ती के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर चयन होने पर अभ्यार्थी 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त होगा। परिवीक्षा अवधि में अभ्यार्थी को प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायरेंड के रूप में दी जायेगी।
21. दिव्यांगजनों हेतु चिन्हांकित संविदा के पदों पर भर्ती संबंधी कार्यवाही मध्यप्रदेश नगरपालिका संविदा (अनुबंध तथा सेवा की शर्तें) सेवा, नियम 2021 में विहित प्रावधानुसार की जावेंगी।
22. नियुक्ति से संबंधित सभी अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी के पास सुरक्षित होंगे।

पृ.क्रमांक/न.प./2024/1690

प्रतिलिपि :-

- 1) कार्यालय संयुक्त संचालक, न.प्र.एवं वि.वि., इन्दौर/कार्यालय कलेक्टर जिला झाबुआ/कार्यालय जिला पंचायत, जिला झाबुआ/कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मेघनगर/कार्यालय नगर परिषद् मेघनगर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 2) विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु।
- 3) पत्रकार श्री समाचार पत्र दैनिक में न्यूनतम दर पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।


मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद् मेघनगर जिला झाबुआ
 मेघनगर, दिनांक : 22/08/2024


मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद् पौधमगढ़ जिला झाबुआ

आवेदन का प्रारूप

स्व—प्रमाणित
पासपोर्ट साईज
का फोटो
चर्चा करें

प्रति,

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद मेघनगर
जिला झाबुआ (म.प्र.)

1. आवेदक / आवेदिका का पूरा नाम.....
2. आवेदक / आवेदिका के पिता / पति का नाम.....
3. आवेदक / आवेदिका की माता का नाम.....
4. आवेदक / आवेदिका की जन्म तिथि (जन्म प्रमाण पत्र / हाई स्कूल की अंकसूची अनुसार) वर्ष..... माह..... दिन.....
5. दिनांक..... को आयु वर्ष..... माह..... दिन.....
6. आवेदक / आवेदिका का लिंग (पुरुष / महिला / अन्य).....
7. निःशक्तता का डिजिटल प्रमाण पत्र संबंधित जिले के शासकीय जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी (हाँ / नहीं).....
8. दिव्यांगता की श्रेणी एवं दिव्यांगता का प्रतिशत.....
9. आवेदक / आवेदिका की जाति.....
10. आवेदक / आवेदिका का यदि विवाहित हो तो विवाह के प्रमाण—पत्र अनुसार विवाह की दिनांक.....
11. जीवित संतानों का विवरण.....
12. वर्तमान पता / पिन कोड
13. स्थाई पता / पिन कोड
14. पत्राचार का पता / पिन कोड.....
15. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक एवं रोजगार कार्यालय का नाम.....

16. संविदा पद हेतु अनुभव का विवरण.....
17. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यताएं (प्रमाण—पत्रों की स्व—प्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करें)

क्र	परीक्षा का नाम	संस्था बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम	विषय	कुल अंक	प्राप्त अंक	प्रतिशत	श्रेणी

18. अनुभव यदि होतो उसका विवरण.....
19. अतिरिक्त विशेष योग्यता यदि हो तो उसका विवरण.....
20. ईमेल आई.डी.....
21. मोबाइल नम्बर 1..... 2.....

आवेदक के हस्ताक्षर एवं पूरा पता

घोषणा पत्र

“मैं घोषणा करता हूं/करती हूं कि उपरोक्त सभी जानकारी जो मेरे द्वारा दी गई है। यह मेरे विवेक एवं ज्ञान से पूर्णतः सत्य है। काई भी जानकारी असत्य पाई जाने पर मेरा आवेदन निरस्त किया जावें।”

आवेदक के हस्ताक्षर